

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।

प्रस्ताव

मा० उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन दिनांकित 18.11.2023 के परिणाम स्वरूप जनपद न्यायालय मीरजापुर में न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन/स्थानान्तरण व न्यायालय बदलने के कारण एवं मा० जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक आदेश के अनुपालन में पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण को ध्यान में रखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य थानों के क्षेत्राधिकार के वितरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रबन्ध प्रस्तावित किया जाता है—

क्रम सं०	न्यायालय का नाम	थानों का नाम
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	को० शहर, को० कटरा, विन्ध्याचल, जी०आर०पी० साईवर काइम एवं 60/63 आबकारी अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज वाद व उनसे सम्बन्धित वाद, अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० व समस्त थानों के धारा-302,304,304बी भा०दं०सं० से सम्बन्धित वाद, टी०पी० लाईन चालान, ए०आर०टी०ओ० चालान एवं नगरपालिका अपील से सम्बन्धित वाद।
2	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-1	को० चुनार, को० देहात, आर्थिक अपराध, गोवध अधिनियम,
3	अपर सिविल जज(सी०डि०) कोर्ट सं०-1	मड़िहान, वन अधिनियम व उससे सम्बन्धित परिवाद
4	अपर सिविल जज(सी०डि०) कोर्ट सं०-2	चील्ह, डूमण्डगंज एवं जी०आर०पी० से सम्बन्धित लम्बित वाद
5	अपर सिविल जज(सी०डि०) एफ०टी०सी०	जिगना, लालगंज, अदलहाट
6	न्यायिक मजिस्ट्रेट	को०शहर, को०कटरा, एवं विन्ध्याचल से सम्बन्धित लम्बित परिवाद
7	अपर सिविल जज(जू०डि०) कोर्ट सं०-5	पड़री, हलिया राजगढ़
8	अपर सिविल जज(जू०डि०) कोर्ट सं०-6	कछवां, सन्तनगर से सम्बन्धित समस्त वाद एवं को०शहर, को०कटरा, विन्ध्याचल के धारा-138 एन०आई०एक्ट के परिवाद तथा आयुध अधिनियम से सम्बन्धित समस्त वाद
9	सिविल जज(जू०डि०) एफ०टी०सी० काइम अगेन्स्ट वीमेन	महिला थाना, समस्त थानों के मजिस्ट्रेट विचारणीय महिलाओं के विरुद्ध अपराध
10	सिविल जज(जू०डि०) एफ०टी०सी०	अहरौरा, जमालपुर

मा० उच्च न्यायालय के सी०एल० सं० 31/मेन-बी(एडमिन ए-3)/इलाहाबाद दि० 24.12.2021 के अनुपालन में पूर्व व वर्तमान एम०पी०/एम०एल०ए० से सम्बन्धित आपराधिक मामले के सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्री आनन्द उपाध्याय सिविल जज(सी०डि०) को ही प्राप्त रहेगा।

उपरोक्त सूची के अतिरिक्त अन्य विशेष अधिनियमों का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्राप्त होगा।

उपरोक्त सूची में वर्णित थानों से सम्बन्धित समस्त फौजदारी कार्य सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

माननीय जनपद न्यायाधीश मीरजापुर के अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित न्यायालयों के कार्यालय में कार्यरत लिपिकगण पत्रावलियों को उपरोक्त सूची में वर्णित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में 23.11.2023 तक प्रेषित कर अनुपालन आख्या मेरे समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव मा० जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के समक्ष अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित।

दिनांक : 20.11.2023

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मीरजापुर।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।

प्रस्ताव

मा0 उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या 3039/एडमिन (सर्विसेज)/2023 से सुश्री जीनत परवीन सिविल जज(जू.डि.) एफ0टी0सी0 मीरजापुर का स्थानान्तरण ग्राम न्यायाधिकारी लालगंज मीरजापुर होने तथा अन्य न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के न्यायालय परिवर्तित होने के उपरान्त दिनांक 20.11.2023 को प्रेषित प्रस्ताव को अंशतः संशोधित करते हुए निम्नलिखित कार्य वितरण आदेश पारित किया गया है—

क्रम सं०	न्यायालय का नाम	थानों का नाम
1	अपर सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-1	अहरौरा, जमालपुर,
2	सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०	पड़री, राजगढ़, हलिया

उपरोक्त सूची में वर्णित थानों से सम्बन्धित समस्त फौजदारी कार्य सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

माननीय जनपद न्यायाधीश मीरजापुर के अनुमोदन के पश्चात अपर सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 एवं सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी० के न्यायालय में कार्यरत लिपिकगण पत्रावलियों को उपरोक्त सूची में वर्णित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में 13.12.2023 तक प्रेषित कर अनुपालन आख्या मेरे समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव मा0 जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के समक्ष अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित।

दिनांक:-11.12.2023

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मीरजापुर।